क्रमांक - 18

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 1, 1947)

संविहित संकल्प

श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

‘‘यत: जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करने, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त करने और समनुदेशित करने और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु संसद ने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) अधिनियमित किया था;

और यत:, विधि के प्रवर्तन में कतिपय कमियां देखी गई है और तद्नुसार संसद ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5) अधिनियमित किया गया है;

और यत:, इस विधान सभा ने 28 दिसम्बर, 1973 को उक्त अधिनियम को अंगीकृत करने का संकल्प पारित किया था;

और यत:, यह वांछनीय है कि संसद द्वारा बनाये गये उक्त अधिनियम को मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में यह विधान सभा एतद् द्वारा, यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 (2024 का 5) मध्यप्रदेश राज्य में अंगीकृत किया जाए. ’’

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.